भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2088

सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018/3 पौष, 1940 (शक)

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु छूट

2088. श्री जी. एम. सिद्देश्वरा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश में कार्य करने वाले भारतीय अब स्वयं को अपने मेजबान देश की सामाजिक सुरक्षा योजना से मुक्त कर सकते हैं एवं सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में कवर हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त लाभ को उठाने के लिए एक ऑनलाइन सेवा कार्यशील की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ईपीएफओ ने इस संबंध में 18 देशों के साथ कोई समझौता किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, हां। यह सुविधा उन भारतीय कामगारों के लिए उपलब्ध है जो अपने नियोक्ता द्वारा उन देशों में प्रतिनियुक्ति पर हैं जिसके साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा समझौता (एसएसए) किया है तथा वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से कवरेज (बीमा छत्र) का प्रमाण पत्र (सीओसी) ले सकते हैं।

(ग): कवरेज (बीमा छत्र) का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की एक ऑनलाइन सुविधा ईपीएफओ द्वारा शुरु की गई है।

(घ) एवं (ङ): भारत ने निम्नलिखित 18 देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता (एसएसए) किया है:-

(i) ऑस्ट्रेलिया (ii) ऑस्ट्रिया (iii) बेलजियम (iv) कनाडा (v) जेक रिपब्लिक (vi) डेनमार्क (vii) फिनलैंड (viii) फ्रांस (ix) जर्मनी (x) हंगरी (xi) जापान (xii) कोरिया गणतंत्र (दक्षिण कोरिया) (xiii) लक्जमबर्ग (xiv) नीदरलैंड (xv) नॉर्वे (xvi) पुर्तगाल (xvii) स्वीडन और (xviii) स्विट्जरलैंड ।

*****